भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3560

(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2014 को दिया गया)

<u>अवैध सामूहिक निवेश स्कीमों की भरमार</u>

3560. डा. टी. एन. सीमा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के रूप में कार्यरत लगभग 35000 कंपनियों की पहचान की है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन पंजीकृत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गंभीर धोखाधड़ी के मामले की जांच करने वाले कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) ने पूरे देश में चल रही अवैध सामूहिक निवेश स्कीमों जिनमें निवेशकों ने अपना धन गंवाया है, की भरमार के लिए सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव होने को जिम्मेदार ठहराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) छोटे निवेशकों की जीवनभर की बचतों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) और (ख) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 34,754 कंपनियों जिनके आंतरिक नियमों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में व्यवसाय करने संबंधी वाक्यांश है, की सूची उन कंपनियों का पता लगाने के लिए भेजी है। जो भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस के बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तौर पर कार्य कर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी कंपनियों से तथ्यों को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की है जो जनता से अप्राधिकृत रूप से जमा राशि स्वीकार करती प्रतीत होती हैं।

(ग) और (घ) : गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) ने तथा कथित चिट फंड कंपनियों की जांच के दौरान पाया कि ऐसी कंपनियों के प्रमोटर बहु कानूनों जैसे प्राइज चिट एवं धन प्रचलन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 और चिट फंड अधिनियम, 1982 इत्यादि की वजह से लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रतिनिधियों को शामिल कर ऐसे मामलों में बेहतर अंतर एजेंसी समन्वय हेतु वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) एक अंतर मंत्रालय समूह (आईएमजी) का गठन किया गया।

(ड.) : मंत्रालय ने छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) मंत्रालय द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) के तत्वाधान में तीन व्यावसायिक संस्थानों - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखांकन संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से विभिन्न शहरों में नियमित रूप से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम निवेशकों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनके सशक्तीकरण के लिए चलाए जाते हैं। वर्ष 2012-

13 से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक एनटिटी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लि. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसे 2897 कार्यक्रम आयोजित किए गए;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निवेशकों, नियामकों एवं अन्य पक्षकारों की बेहतर सूचना हेतु बढ़े हुए प्रकटीकरण मानदंड;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखापरीक्षकों की जवाबदेही एवं स्वतंत्रता को बढ़ाया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों का रोटेशन इत्यादि शामिल है।

*****